**न्यायालय – तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश–पूर्णियॉ**

**सत्र विचारण वाद सं0 92/2021**

**सी.आई.एस. 92/2021**

**राज्य**

**बनाम**

**रामदेव ऋषि एवं अन्य ..... अभियुक्तगण**

**10.02.2023:–** इस वाद के दो अभियुक्त रामदेव ऋषि एवं चंदा राम में से अभियुक्त रामदेव ऋषि की तरफ से हाजिरी दी गयी तथा अभियुक्त चंदा राम की तरफ से द0प्र0सं0 की धारा 317 के अंतर्गत प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया।

बचाव पक्ष की तरफ से एक आवेदन अभियोजन साक्ष्य बंद करने के संबंध में दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्राप्त करायी गयी।

पुकार पर अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुये। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बचाव पक्ष के तरफ से दाखिल आवेदन को प्रचालित करते हुये यह कथन किया गया कि प्रस्तुत वाद अभियोजन साक्ष्य हेतु निश्चित है। इस कांड में विचारित रामदेव ऋषि मुखिया फुलकुमारी का पति तथा अभियुक्त चंदा राम सरपंच नीलम देवी का पति है जिन्हें पुलिस द्वारा उपरोक्त कांड के संबंध में गिरफ्तार किया गया था तथा जमानत पर न्यायालय द्वारा मुक्त किया गया। इस कांड के मुख्य अभियुक्त विक्रम ऋषि, संतोष ऋषि, अघोरी देवी और शनिचरी देवी इस वाद में उपस्थित नहीं हुये। फलतः उनका वाद पृथक करते हुये विचारित अभियुक्तगण का वाद सत्र न्यायालय को विद्वान दंडाधिकारी द्वारा दौरा–सुपुर्द किया गया। दौरा–सुपुर्दगी के पश्चात अभियुक्तगण द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 227 दिनांक 02.10.2021 को इस वाद में दाखिल किया गया कि उनके विरूद्ध आरोप गठन किये जाने हेतु पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः उन्हें इस वाद से उन्मोचित किया जाये चूंकि उन्हें ग्रामीण राजनीति के चलते इस वाद में झूठा फंसा दिया गया। परंतु उनकी तरफ से दाखिल उपरोक्त आवेदन को न्यायालय द्वारा खारिज करते हुये उनके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 302, 201/34 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया तत्पश्चात अभियोजन पक्ष की तरफ से दो साक्षी नित्यानंद ऋषि जो मृतक अशोक ऋषि का पिता है तथा विशनुदेव ऋषि का परीक्षण कराया गया है जिन्होनें अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध इस कांड में संलिप्तता के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। प्रस्तुत वाद दिनांक 08.09.2022 से अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है परंतु अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इस कांड की सूचिका मनकिया देवी के विरूद्ध अभियुक्त रामदेव ऋषि की पत्नी फुलकुमारी देवी द्व ारा पंचायत चुनाव के समय मुखिया के रूप में चुनाव लड़ा गया था जिसमें मनकिया देवी हार गयी थी और उसी से व्यथित होकर अभियुक्तगण को इस वाद में झूठा फंसा दिया। उसके द्वारा धमकी भी दिया गया था जिसके संबंध में एस.डी.एम. बनमनखी के यहां रामदेव ऋषि के तरफ से आवेदन दाखिल किया गया। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों के आलोक में अभियोजन साक्ष्य बंद करते हुये अभियुक्तगण को इस वाद में लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाये।

दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त आवेदन का मौखिक रूप से विरोध करते हुये यह कथन किया गया कि बचाव पक्ष की तरफ से दाखिल आवेदन विधि एवं तथ्य के दृष्टिकोण में मान्य नहीं है। चूंकि प्रस्तुत मामला सत्र विचारणीय मामला है जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्षियों को प्रस्तुत किया जा रहा है परंतु बचाव पक्ष द्वारा जानबूझकर बिना किसी आधार के अभियोजन साक्ष्य बंद करने के संबंध में आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें अपने को झूठा फंसाये जाने के संबंध में कथन किया गया है जिस बिंदु पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त आवेदन को खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि सूचिका मनकिया देवी के द्वारा अपने पुत्र अशोक ऋषि की हत्या के संबंध में प्राथमिकी थाना में दर्ज करायी गयी थी जिसमें अनुसंधान के क्रम में विचारित अभियुक्तगण की संलिप्तता को सत्य पाते हुये उनके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 302, 201 एवं 120बी के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया जिसपर अपराध का संज्ञान लेते हुये वाद को दौरा–सुपुर्द सत्र न्यायालय को किया गया। अभियुक्तगण की तरफ से दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता को खारिज करते हुये दिनांक 19.04.2022 को भा0द0वि0 की धारा 302, 201, 506/34 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया तत्पश्चात अभियोजन पक्ष की तरफ से तीन साक्षियों का परीक्षण कराया गया है जबकि इस कांड के सारवान साक्षी सूचिका, स्वतंत्र साक्षी, चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता का परीक्षण अभियोजन पक्ष की तरफ से नहीं कराया गया है तथा मात्र अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किये गये साक्षियों के बयान के आधार पर यह अवधारित नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्तगण की संलिप्तता इस कांड में प्रत्य क्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थी अथवा नहीं। उक्त साक्षियों की उपस्थिति के लिये न्यायालय द्वारा अधिपत्र निर्गत किये गये हैं तथा उनका परीक्षण कराया जाना उचित न्याय–निर्णयण के लिये आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त की तरफ से दाखिल आवेदन में कोई बल नहीं पाते हुये खारिज किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस कांड में शेष बचे साक्षियों की उपस्थिति के लिये निर्गत अधिपत्रों की तामिला के लिये संबंधित थाना को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करे।

वाद दिनांक **03.03.2023** वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु।

(लेखापित)
ह0/–
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ।